

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 35/2019

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. जगदीश कुमार पुत्र शंकरलाल
2. गोतमचन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी बिसारणिया पंचायत समिति धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

सरपंच, ग्राम पंचायत बिसारणिया  
पंचायत समिति धनाऊ तहसील  
चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध नोटिस संख्या 132 दिनांक 21.11.2019 जो ग्राम पंचायत बिसारणिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बिसारणिया के द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस संख्या 132 दिनांक 21.11.2019 के विरुद्ध दिनांक 27.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 27.04.2018 को ग्राम पंचायत बिसारणिया की ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव सं. 1 जीपीडीपी-2018 के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, जिसमें क्रम सं. 11 पर बिसारणिया मैन चौराया, सर्किल व इंटरलॉकिंग कार्य का भी अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव पर जिला परिषद बाड़मेर द्वारा कुल 10 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 10.09.2018 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत बिसारणिया के निवासी श्री देवीलाल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी



जाखड़ों का तला द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सार्वजनिक चौराहा बिसारणिया पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। इस पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.09.2019 को पारित प्रस्ताव सं. 1 की अनुपालना में तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न व्यक्तियों का आबादी भूमि पर अवैध कब्जा होना पाये जाने पर सरपंच, ग्राम पंचायत बिसारणिया द्वारा प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों को दिनांक 17.09.2019 को नोटिस जारी कर तीन दिवस में कब्जा हटाने का आदेश दिया तथा इसमें व्यतिक्रम रहने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 110 के तहत कानूनी कार्यवाही किये जाने उल्लेख किया गया। प्रार्थी द्वारा नियत समयावधि में कब्जा नहीं हटाये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः दिनांक 21.11.2019 को सख्त हिदायत का नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। प्रार्थी द्वारा इस नोटिस के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नोटिस एवं कार्यवाही की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बिसारणिया का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी एक निर्धन व सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जिसके पैतृक कब्जे का परिसर बिसारणिया गांव के सार्वजनिक चौक के पास आया हुआ है। प्रार्थी इस स्थान पर दो केबिन व छपरा बनाकर किराणा एवं सब्जी का व्यवसाय कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा राजनैतिक द्वेष के चलते प्रार्थी सहित



बिसारणिया गांव के सार्वजनिक चौक के पास काबिज निवासियों को हटाकर वहां 80 फीट व्यास का चौराहा व उसके बाद 25 फीट की सड़क कुल 105 के व्यास की भूमि पर निर्माण करने हेतु आलौच्य नोटिस व कार्यवाही की गई हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित परिसर पर 20 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत से अनापति प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन लिया गया है, जिसकी अनदेखी करते हुए आलौच्य नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा मात्र अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने एवं चौराहे पर अपना नाम दर्ज करवाने के उद्देश्य से ही आलौच्य कार्यवाही प्रस्तावित की गई हैं, जिससे किसी प्रकार का जनहित जुड़ा हुआ नहीं है। अप्रार्थी द्वारा आलौच्य कार्यवाही से पूर्व प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा आलौच्य नोटिस के द्वारा कब्जा हटाने की धमकियां दी जा रही हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 165 के उपनियम 4 के तहत यह व्यवस्था है कि यदि पंचायत की यह राय हो कि ऐसे अतिचार का विनियमन कर दिये जाने से नियम 146/19 में उल्लेखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा, तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित कर सकेगी। प्रार्थी सहित अन्य व्यक्तियों का ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पिछले पचास वर्षों से अधिक समय से कब्जा है तथा प्रार्थी अपने कब्जे के विनियमितीकरण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा राजनैतिक द्वेषमात्र से की गई आलौच्य कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थी के नाम जारी नोटिस संख्या 132 दिनांक 21.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।



अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा ग्राम बिसारणिया की आबादी भूमि के मुख्य चौराहे पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा होती है तथा मुख्य चौराहे पर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इस संबंध में ग्राम के निवासी श्री देवीलाल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का तला (बिसारणिया) की शिकायत पर दिनांक 05.09.19

के प्रस्ताव सं. 1 की अनुपालना में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका देखा गया, जिसमें प्रार्थी का आबादी भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया। इस पर प्रार्थी के अवैध कब्जे को हटाने हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव के द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अनियमितता नहीं होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एक निर्धन व सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जिसके पैतृक कब्जे का परिसर बिसारणिया गांव के सार्वजनिक चौक के पास आया हुआ है। प्रार्थी इस स्थान पर दो केबिन व छपरा बनाकर किराणा एवं सब्जी का व्यवसाय कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा राजनैतिक द्वेष के चलते प्रार्थी सहित बिसारणिया गांव के सार्वजनिक चौक के पास काबिज निवासियों को हटाकर वहां 80 फीट व्यास का चौराहा व उसके बाद 25 फीट की सड़क कुल 105 के व्यास की भूमि पर निर्माण करने हेतु आलौच्य नोटिस व कार्यवाही की गई है। प्रार्थी द्वारा विवादित परिसर पर 20 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत से अनापति प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन लिया गया है, जिसकी अनदेखी करते हुए आलौच्य नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम बिसारणिया की आबादी भूमि के सार्वजनिक चौराहे पर अवैध कब्जा होने से उसे हटाने हेतु आलौच्य कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन किया है कि नियमानुसार पुराने कब्जे का विनियमितीकरण किया जाना विधि अनुकूल है तथा प्रार्थी के कब्जे से किसी प्रकार का जनहित प्रभावित हों ऐसा कोई तथ्य किसी रिपोर्ट में अभिलेख पर नहीं आया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिसारणिया के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी



नोटिस में सीधे ही अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई हैं जबकि सर्वप्रथम हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी कर उसे सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक दृष्टि से आवश्यक था। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा जो आलौच्य नोटिस जारी किया गया हैं उसके मजमून से ही प्रकट होता हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी को अतिक्रमी मान लिया हैं। इस प्रकार आलौच्य नोटिस के द्वारा प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करने की प्रस्तावित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं होने से उसे प्रवर्तनीय रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिसारणिया द्वारा बैठक दिनांक 05.09.2019 में पारित प्रस्ताव सं. 1 व उसके अनुसरण में प्रार्थी के विरुद्ध जारी आलौच्य नोटिस क्रमांक 132 दिनांक 21.11.2019 को अपास्त किया जाता है। ग्राम पंचायत बिसारणिया को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर